



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052020-219421
CG-DL-E-18052020-219421

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1334]
No. 1334]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/वैशाख 25, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2020/VAISAKHA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

का. आ. 1493(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.720(अ), तारीख 14 फरवरी, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के वेस्ट गोदावरी जिले में "6 लेन हनुमान जंक्शन बाईपास के (विद्यमान 1055.680 कि.मी से 1060.800 कि.मी तक), (डिजाइन चैनेज 0.000 से चैनेज 6.720), सहित रारा-5 (नया रारा -16) के विद्यमान चार लेन सड़क के कलापरु (डिजाइन 1050.680 किमी) से चिन्ना अवुटुपल्ली (डिजाइन 1076.480 किमी) (कुल डिजाइन लम्बाई- 27.400)" तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28.02.2020" को "साक्षी" और "दी हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के वेस्ट गोदावरी जिले में 6 लेन हनुमान जंक्शन बाईपास के (विद्यमान 1055.680 कि.मी से 1060.800 कि.मी तक), सहित रारा-5 (नया रारा -16) के विद्यमान चार लेन सड़क के कलापरु (डिजाइन 1050.680 किमी) से चिन्ना अबुटपल्ली (डिजाइन 1076.480 किमी) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: वेस्ट गोदावरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पेदपाडु				
	गांव का नाम: अमृतलिंगपेट				
1	22/2B	निजी	वेट	0.0162	चिन्नम सुजाता (22/2B1)
2	23/1C	निजी	वेट	0.0485	एनिकेपल्ली सत्यनारायण (23/1C1)
	गांव का नाम: कलपरू				
3	18/1B2	निजी	वेट	0.0162	कासुकुर्थी लक्ष्मायय (18/1B2A)
4	31/1B2	निजी	वेट	0.0364	पामीरेडु चंद्र मोहन रेड्डी (31/1B2A)
5	31/2	निजी	वेट	0.029	गज्जला रामबाबू (31/2A)
6	31/3A2B	निजी	वेट	0.089	पत्तिपला धामोधर रेड्डी (31/3A2B1)
7	31/4B2B	निजी	वेट	0.1012	बोललू कमला कुमारी (31/4B2B1)
8	31/5B2	निजी	वेट	0.081	बोललीगर्ला राजा राजेस्वरी

					(31/5B2A)
9	31/6B2	निजी	वेट	0.1135	बोललीगर्ला वेंकटेश्वर राव (31/6B2A)
	गांव का नाम: ताल्लमुडि				
10	134/4	निजी	वेट	0.1002	अडुसुमिल्ली विजय लक्ष्मी (134/4A)
11	25/5A	निजी	ड्राई	0.0164	मामिडीबतूला श्री प्रियांका (25/5A1)
12	26/5A	निजी	ड्राई	0.0264	मांथेने सिरीषा पावना पिता सत्यनारायण राजू (लेट) (GPA होल्डर एम. सीता राम रंगा राजू) (26/5A2)
			कुल	0.6740	

[फा.सं. NHAI/15021/6-Lane/BOT/2008/Tech/GM(CK-I)/3A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th May, 2020

S.O. 1493(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.720(E), dated 14th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.16, "6-laning of existing 4-lane road from Kalaparru (Design Km.1050.680) to Chinna Avutupalli (Design Km.1076.480) of NH-5 (New NH-16) including 6 lane Hanuman Junction bypass from (Existing Km.1055.680 to Km.1060.800) (Design Ch.0.000 to Ch.6.720), (Total Design Length - 27.400 Km)" in the District of West Godavari in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Sakshi" and "The Hindu" both dated 28.02.2020, under sub-section (3) of section 3A of the said Act; And whereas no objections have been received from any person by the competent Authority; And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government; Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land of Package-II : 6-laning of existing 4-lane road from Kalaparru (Design Km.1050.680) to Chinna Avutupalli (Design Km.1076.480) of NH-5 (New NH-16) including 6 lane Hanuman Junction bypass from (Existing Km.1055.680 to Km.1060.800) (Design Ch.0.000 to Ch.6.720) (Total Design Length - 27.400 Km) in the State of Andhra Pradesh

State: ANDHRA PRADESH			District: WEST GODAVARI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pedapadu				
	Viilage: Amrutalingampeta				
1	22/2B	Private	Wet	0.0162	Chinnam Sujatha 22/2B1
2	23/1C	Private	Wet	0.0485	Yenikepalli Satyanarayana 23/1C1
	Viilage: Kalaparru				
3	18/1B2	Private	Wet	0.0162	Kasukurthi Lakshmaiah 18/1B2A
4	31/1B2	Private	Wet	0.0364	Pamireddy Chandra Mohan Reddy 31/1B2A
5	31/2	Private	Wet	0.029	Gajjala Rambabu 31/2A
6	31/3A2B	Private	Wet	0.089	Pathipala Dhamodhar Reddy 31/3A2B1
7	31/4B2B	Private	Wet	0.1012	Bollu Kamala Kumari 31/4B2B1
8	31/5B2	Private	Wet	0.081	Bolligarla Raja Rajeswari 31/5B2A
9	31/6B2	Private	Wet	0.1135	Bolligarla Venkateswara Rao 31/6B2A
	Viilage: Tallamudi				
10	134/4	Private	Wet	0.1002	Adusumilli Vijaya Lakshmi 134/4A
11	25/5A	Private	Dry	0.0164	Mamidibathula Sri Priyanka 25/5A1
12	26/5A	Private	Dry	0.0264	Manthene Sirisha Pavana D/o Sathyanarayana Raju (late) (GPA Holder of M. Seetha Rama Ranga Raju) 26/5A2
			TOTAL	0.6740	

[F. No. NHAI/15021/6-Lane/BOT/2008/Tech/GM(CK-I)/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.